राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in

Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/Loose/ 2171 Date: 17-08-2022

निर्देश

(चिकित्सालयों हेतु)

विषय :– आरजीएचएस के चिकित्सा दावों को सब्मिट किये जाने की अवधि के संबंध में।

समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. सभी प्रकार के चिकित्सा दावें यथा इन्डोर, डे–केयर एवं आउटडोर को 72 घण्टे (3 दिवस) की अवधि में सब्मिट करना अनिवार्य होगा। इन्डोर एवं डे केयर दावों के लिए यह अवधि डिस्चार्ज के समय से तथा आउटडोर दावों हेतु यह अवधि टीआईडी जनरेट करने के समय से मानी जावेगी। 72 घण्टे की अवधि पश्चात् अस्पताल द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा तथा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। यद्यपि आपवादिक परिस्थितियों में तर्कसंगत कारण एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर नियत अवधि के पश्चात् दावा स्वीकार करने पर विचार किया जावेगा।

2. यह संभव है कि कुछ प्रकरणों में दावें के साथ संलग्न की जाने वाली जांच रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। इस स्थिति में भी दावें नियत अवधि में सब्मिट कर दिये जावें, ऐसे प्रकरणों में टीपीए द्वारा आवश्यकता पडने पर संबंधित जांच रिपोर्ट/दस्तावेज क्वेरी के माध्यम से मांग ली जावेगी।

3. टीपीए द्वारा एक बार हॉस्पिटल को क्वेरी लगाये जाने पर यह आवश्यक होगा की 15 दिवस की अवधि में इसका उत्तर हॉस्पिटल द्वारा दे दिया जावें, अन्यथा दावा बंद कर दिया जावेगा। यद्यपि आपवादिक परिस्थितियों में तर्कसंगत कारण एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर नियत अवधि के पश्चात् दावा स्वीकार करने पर विचार किया जावेगा। भविष्य में क्वेरी के उत्तर दिये जाने की अवधि को कम किया जावेगा।

4. इन्डोर एवं डे–केयर चिकित्सा दावों को सब्मिट करते समय क्लेम प्रोसेस शीट की रिक्तियां अनिवार्य रूप से भरी जावें ताकि दावा निरस्त अथवा विलम्ब होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होवे।

उक्त बिंदुओं की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सालय की होगी।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/Loose/ 2172 – 2180

Date: 17-08-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
5. संयुक्त परियोजना निदेशक (सा0प्र0/सतर्कता/क्लेम यूनिट), राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक, एमडी इंडिया हेल्थ टीपीए।
7. श्री पीयूष गुप्ता टीम लीडर, केपीएमजी को पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था हेतु।
8. एसीपी, आरजीएचएस को आरजीएचएस वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

सुरेश

(सुरेश कुमार मीणा)
संयुक्त परियोजना निदेशक, आरजीएचएस